न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झाँसी।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 360 / 2022

मुकदमा संख्या - 361/ 2021

सरकार **बनाम** **गौरीशंकर आदि।**

धारा- 323, 504 भा०दं०सं०

थाना- एरच, जिला- झांसी

मु०अ०सं०- 150/ 2020

दिनांक- 12. 10. 2022-

प्रार्थी/ अभियुक्त **गौरीशंकर पुत्र रामरतन अहिरवार** ओर से मु०अ०सं०- 150/ 2020 अन्तर्गत धारा- 323, 504 भा०दं०सं० थाना- एरच, जिला- झांसी में आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अपराध अजमानतीय है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/ अभियुक्त को झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त उचित राशि का मुचलका देने को तैयार है। प्रार्थी/ अभियुक्त सीधा साधा गरीब व मजदूर व्यक्ति है। उक्त आधारों पर प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं है। अभियुक्त के दोषी पाये जाने की स्थिति में सजा की गंभीरता बहुत ज्यादा नहीं है। अभियोजन पक्ष इस न्यायालय को आश्वस्त व संतुष्ट करने में असमर्थ रहा है कि यदि प्रार्थी की जमानत मंजूर की जाती है तो वे अग्रिम कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त अभियुक्त का ऐसा कोई आपराधिक इतिहास प्रेषित नहीं किया गया है जिससे यह इस स्तर पर परिलक्षित होता हो कि उक्त अभियुक्त अभ्यतः अपराधी है।

उभय पक्ष के तर्कों व उपलब्ध प्रपत्रों के सम्यक परिशीलन से विदित है कि हस्तगत प्रकरण में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिया मुकदमा के साथ मारपीट एवं गाली गलौच किये जाने का अभियोग है।

अतः मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्ति किये बिना आधार जमानत पर्याप्त पाया जाता है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/ अभियुक्त **गौरीशंकर पुत्र रामरतन अहिरवार** को मु० **बीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी धनराशि के **दो प्रतिभू** प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

(सुनील शेखर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

गरौठा, झाँसी।